

Notes for— M.A. Sem-III, CC-13, Unit-IV

Topic— संवैधानिक परिवर्तन और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया:-

(1) भारतीय परिषद् अधिनियम 1861:- 1858 ई. के भारत सरकार अधिनियम ने यद्यपि कम्पनी शासन का अंत कर दिया, परंतु इसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने की मांग जोर पकड़ने लगी। इस बात को महसूस किया गया कि भारतीयों के लिए कानून बनानेवाली संस्था को भारतीय निवासियों को भी जानना चाहिए, अतः उनके पास विद्रोह करने के अनिश्चित और अन्य कोई उपाय नहीं बचेगा।

कुछ प्रमुख भारतीयों, जिनमें सर्वप्रथम

सर सैयद अहमद खां, ने महसूस किया कि 1857 ई. के विद्रोह का एक प्रधान कारण यह था कि शासक एवं शासितों के बीच कोई सम्पर्क सूत्र नहीं था। अनेक अंग्रेजों ने इस नीति के परिष्कार की मांग की। इसके अनिश्चित 1853 ई. के चार्टर एक्ट में कानून बनाने की जो व्यवस्था थी, वह दोषपूर्ण थी। विधान परिषद् एवं गवर्नर जनरल में आपसी माल-मेल नहीं बैठता था। कौंसिल के रजिस्ट्रार के कारण निर्णय लेने में भी देर होती थी। इस अवस्था को दूर करने हेतु 1861 ई. में भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया गया।

अधिनियम के चारों मुख्यतः निम्नलिखित

थी— (i) वायसरॉय की कार्यकारी परिषद् का विस्तार कर दिया गया। कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य कानूनी जांचकार बनाया गया। अब इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल कहा जाने लगा।



→ (2) वायसरयल को कर्म करने के लिए अपनी सुविधानुसार निम्न बनाने का अधिकार दिया गया। इस आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने/ने विभागीय प्रणाली का आरंभ किया। जिसने फ़ील्डिंग व्यवस्था को जन्म दिया। प्रशासनिक विभाग विभिन्न सदस्यों के जिम्मे कर दिए गए जिन्हें लिए वे वायसरयल के प्रति उत्तरदायी होते थे। महत्वपूर्ण विभागीय प्रश्नों पर वायसरयल का परामर्श लिया जाता था।

(3) वायसरयल की कार्यकारी परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 रखने की व्यवस्था की गई। इसका मुख्य काम कानून बनाना था। जिस समूह अतिरिक्त सदस्य कार्यकारी की बैठक में कानून बनाने के लिए सम्मिलित हो, वैसी व्यवस्था में इसे लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधायिका परिषद्) कहा जाता था। इन सदस्यों में कम-से-कम आधे सदस्य गैर-सरकारी होते थे। इन सदस्यों का मनोनयन वायसरयल द्वारा होता था। इसमें कुछ अंग्रेजी के भारतीयों को भी शामिल किया गया। इन सदस्यों की अवधि दो वर्षों की थी। तत्पश्चात् इसका पुनः मनोनयन हो सकता था।

(4) लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पास किए गए कानून वायसरयल की स्वीकृति के पश्चात् पूर्णरूप से कानून बन जाते और स्वयंसेवक अंग्रेजी क्षेत्र में इन्हें लागू किया जा सकता था; लेकिन भारत स्थित इन कानूनों को रद्द भी कर सकता था।

(5) इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन लाने के लिए प्रांतीय विधान सभों के गठन का अधिकार गवर्नरों को दिया गया। इसी आधार पर बाद में बंगाल, उत्तरप्रदेश, प्रान्त और पंजाब में विधान परिषदें गठित की गईं। गवर्नरों को कम-से-कम 4 और अधिक से अधिक- 8 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। इनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे एवं उनका मनोनयन भी दो वर्षों के लिए होता था। प्रांतीय विधायिकाओं को सिर्फ प्रांतीय मामलों से संबंधित मामलों में ही वायसरयल की सहायता से कानून बनाने का अधिकार दिया गया।